



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2008/आषाढ 4, 1930

No. 347]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2008/ASADHA 4, 1930

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2008

सा.का.नि. 476(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) संशोधन नियम, 2008 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. नियम 12 का संशोधन,

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 के नियम 12 में,—

(i) उप नियम (2) में, “प्रस्ताव करेगा” शब्दों के पश्चात् “और ऐसे पद नियमित पद समझे जाएंगे।” शब्द जोड़े जाएंगे;

(ii) उप नियम (3) में,—

(क) “अतिरिक्त जनशक्ति” शब्दों के स्थान पर “अतिरिक्त नियमित कर्मचारी संख्या या जनशक्ति” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण : प्राधिकरण, समय-समय पर उसकी अपनी कारबार योजनाओं के आधार पर अतिरिक्त अस्थायी पद सृजित कर सकेगा और रेल भूमि विकास प्राधिकरण बोर्ड, जनशक्ति पर जिसके अंतर्गत नियमित कर्मचारी संख्या भी है, समग्र व्यय के विषय को विनिश्चित करेगा, जो वार्षिक बजट उपार्जनों के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा)। इन पदों की अवधि/कालावधि का, अंतर्वर्तित परियोजनाओं की अवधि पर्यंत अपेक्षाओं के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।”

(iii) उपनियम 6 में,—

(क) “समीक्षा करेगा,” शब्दों के स्थान पर “पुनर्विलोकन कर सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) “कर्मचारी संख्या” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं “नियमित कर्मचारी संख्या” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2008/एलएमएल/2/8(बी)]

पी. डी. शर्मा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

पाद टिप्पण : रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 4(अ) तारीख 4 जनवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF RAILWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2008

**G.S.R. 476(E).**—In exercise of powers conferred by Section 4A, read with Section 198, of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following amendments in the Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007, namely :—

1. **Short Title and Commencement** : (1) These rules may be called as the Rail Land Development Authority Constitution (Amendment) Rules, 2008.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of rule 12,

in the Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007, in rule 12,—

(i) in sub-rule (2), for the words “Central Government”, the words “Central Government and such posts shall be treated as regular posts” shall be substituted,—

(ii) in sub rule (3),—

(a) for the words “additional manpower”, the words “additional regular strength or manpower” shall be substituted;

(b) at the end the following Note shall be inserted, namely :—

“NOTE : The Authority may, from time to time, create additional temporary posts on the basis of its future business plans, and the Rail Land Development Authority Board shall decide the same subject to the overall expenditure on manpower including regular strength shall not exceed 2.5% (to be reviewed by Rail Land Development Authority Board annually) of the annual budgeted earnings. The tenure/period of these posts shall be decided by the Authority based on the requirement for the life of the projects involved.”

(iii) In sub-rule (6),—

(a) for the words “The Authority shall periodically”, the words “The Authority may periodically” shall be substituted;

(b) for the words “strength”, wherever it occurs, the word “regular strength” shall be substituted.

[F. No. 2008/LML/2/8(B)]

P. D. SHARMA, Executive Director (Land and Amenities) (Railway Board)

**Foot Note** : The Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007 were published in the Gazette of India, *vide*, number G.S.R. 4(E), dated the 4th January, 2007.